रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D.)72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 399] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 3, 1979/आश्विन 11, 1901
No. 399] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 1979/ASVINA 11, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1979

का० आ० 561(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना स० 620(अ), तारीख 18 सितम्बर, 1976 को अधिक्रांत करते हुए, नीचे सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित अधिकारी को, जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ 2 को तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम के द्वारा या अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पद नाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
प्रशासनिक अधिकारी (पी-II), दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम, दिल्ली।	दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम, दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भूमि, भवन और अन्य स्थान।

[फा० सं० यू-13021/29/79-दिल्ली]
एस० वी० शरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OE HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 1979.

S.O. 561(E) .—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, (40 of 1971), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 620(E) dated the 18th September, 1976, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column 1 of the Table below, being Gazetted Officer of Government, to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of public premises specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table :—

THE TABLE

Designation of officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
1	2
The administrative officer (P-II), the Delhi Electric Supply Undertaking, Delhi.	Lands, buildings and other premises under the administrative control of the Delhi Electric Supply Undertaking, Delhi.

[File No. U. 13021/29/79-Delhi]
S. V. SHARAN, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979